न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
91 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	11.12.2020	09.09.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री महेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री भोम सिंह रावत निवासी उन्डी उपरला वाडिया जूनी भादसी, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा एफ.बी.ओ मैसर्स लक्की ढाबा एण्ड रेस्टोरेन्ट मूण्डिया के पास एनएच–12 तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2– मैसर्स लक्की ढाबा एण्ड रेस्टोरेन्ट मूण्डिया के पास एनएच–12 तहसील निवाई जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (iv) (v)एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 09.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना निवाई सदर जिला टोंक ने मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को पत्र प्रेषित कर सूचित करने के उपरान्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी टोंक से प्राप्त निर्देशो की पालना मे आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.09.2020 को समय 5.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स लक्की ढाबा एण्ड रेस्टोरेन्ट मूण्डिया के पास एनएच–12 तहसील निवाई जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। प्रोपराइटर की हैसियत से श्री महेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री भोम सिंह रावत निवासी उन्डी उपरला बाडिया जूनी भादसी, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा एफ.बी.ओ मैसर्स लक्की ढाबा एण्ड रेस्टोरेन्ट मूण्डिया के पास एनएच–12 तहसील निवाई जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे सरसों तेल (खुला) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विकेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

1320

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

श्री महेन्द्र सिंह रावत को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता महेन्द्र सिंह रावत एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे लोहे के 10 टिन मे लगभग 150 किलोग्राम **सरसों तेल (खुला)** रखे हुये मे से 1600 ग्राम वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री महेन्द्र सिंह रावत को रू0 160/–अक्षरे एक सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सरसों तेल (खुला)**1600 ग्राम को अलग–अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियो मे प्रत्येक मे 400–400 ग्राम भरकर प्लास्टिक की शिशियो के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2609 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2609 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. महेन्द्र सिंह रावत के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3548 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1287/एक्ट/2020/1360 दिनांक 30.09.2020 अनुसार महेन्द्र सिंह रावत से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सरसों तेल (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एंव निर्बधन) नं02.3.15(1)(b) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का **सरसों तेल (खुला)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

26(2) की उप धारा (iv) (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सरसों तेल (खुला)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल (खुला)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv)(v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री भोम सिंह रावत निवासी उन्डी उपरला बाडिया जूनी भादसी, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा एफ.बी.ओ मैसर्स लक्की ढाबा एण्ड रेस्टोरेन्ट मूण्डिया के पास एनएच–12 तहसील निवाई जिला टोंक राज0पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0)आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

9.9.2021
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner